न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।

उपस्थित **–इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

(J.O. Code- UP 1894)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या**–1121/2025,**

अक्षय पुत्र ओमपाल, निवासी किवाना, थाना कांधला, जिला शामली।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य। **..... विपक्षी।**

मु0अ0सं0 232/2016,
धारा 307 भा0द0सं0,
थाना कांधला, जिला शामली।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**चौधरी मोहम्मद कुरबान,**
राज्य– **श्री संजय सिंह चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**
दिनांकः–19.08.2026

आवेदक/अभियुक्त **अक्षय** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता ओमपाल पुत्र रामसिंह द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का वह पैरोकार है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय, न ही माननीय उच्च न्यायालय में योजित किया है और न ही विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह द्वारा एक तहरीर थाना कांधला में इस आशय की दी गयी कि दिनांक 07.05.2016 को प्रार्थी राजेन्द्र सिंह का भतीजा बिल्लू उर्फ विरेन्द्र पुत्र रणबीर सिंह शाम को करीब नो बजे सोमपाल पुत्र इलम सिंह, निवासी किवाना के मकान के सामने चबूतरा पर बैठा था, उसके पास सोमपाल बैठे थे तभी अक्षय पुत्र ओमपाल व सचिन पुत्र जयपाल उर्फ जापान, निवासी ग्राम किवाना, जिला शामली अपने हाथों में तमन्चा लेकर आये तथा ये कहते हुये बिल्लू को गोली मार दी, कि तू बहुत दादा बनता है, ग्राम में हमारी बुराई करता है, गोली लगते ही बिल्लू पीछे को गिर गया, फायर की आवाज सुनते ही रमेश पुत्र हरपत सिंह व गांव के बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने टार्च की रोश्नी में उपरोक्त अक्षय व सचिन को अच्छी तरह देखा व पहचाना है, जो तमन्चे लहराते हुऐ जंगल की तरफ चले गाये, वादी के परिवार के अन्य लोग बिल्लू को लेकर शामली गये, वहां से अब मेरठ लेकर गये है, मैं रिपोर्ट को आया हूं, रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये। उपरोक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में धारा 307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत उक्त अभियुक्तगण अक्षय व सचिन के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियुक्त सचिन उर्फ टीनू के विरूद्ध धारा 307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत तथा आवेदक/अभियुक्त अक्षय के विरूद्ध मफरूरी में उक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने दर्शाये गये चुटैल को कोई गोली नहीं मारी है। दर्शायी गयी घटना रात्रि अंधेरे की है और चुटैल को कोई गम्भीर चोट नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। सहअभियुक्त सचिन उर्फ टीनू की जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 26652/2016 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दिनांक 05.08.2016 को स्वीकार हो चुकी है। जिला कारागार बागपत में अन्य केस में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त को तलब करके इस मामले में उसका वारण्ट बनाया गया है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

INDER PREET JOSH Digitally signed by INDERPREET JOSH Date: 2026.09.03 08:12:11 +01'00'

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का वर्तमान आपराधिक मामले के अतिरिक्त 05 अन्य निम्न आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है:–

क्रमांक	मु0अ0सं0	धारा	थाना व जिला
1.	648/2016	307 भा0द0सं0	कोतवाली शामली, जिला शामली।
2.	712/2016	307,414,465 भा0द0सं0	कोतवाली शामली, जिला शामली।
3.	713/2016	25 आयुध अधिनियम	कोतवाली शामली, जिला शामली।
4.	357/2016	174ए भा0द0सं0	कांधला, जिला शामली।
5.	477/2016	307,386,506 भा0द0सं0	कांधला, जिला शामली।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त सचिन उर्फ टीनू के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भतीजे बिल्लू उर्फ विरेन्द्र को नाजायज असलहा से गोली मारकर घायल करने का आरोप है। कथित घटना की दिनांक को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद दर्ज कराई गई है। उक्त घटना में आवेदक/अभियुक्त द्वारा ही सहअभियुक्त के साथ मिलकर चुटैल को गोली मारना बताया गया है और यह मुख्य अभियुक्त है। चुटैल विरेन्द्र की आहात आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें चुटैल को सीने में आग्नेयास्त्र की तीन चोटें होने का उल्लेख किया गया है तथा चुटैल की चोटो को जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे हेतु सन्दर्भित किया गया है। चुटैल की पूरक आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें चुटैल को आयी चोट गम्भीर प्रकृति की होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से अन्य मामले में जिला कारागार में निरूद्ध होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न होना बताया गया है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 08.08.2016 से लगातार अनुपस्थित रहा, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में समन तत्पश्चात दिनांक 09.05.2018 को आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत जारी किया गया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपनी अनुपस्थिति का दिनांक 09.05.2018 से दिनांक 22.04.2019 तक का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान आपराधिक मामले के अतिरिक्त पांच अन्य आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत हुए गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय जमानत का कोई आधार नहीं पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अक्षय** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 19.08.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।